



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1869/2026

नीरज गोयल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अमित कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. श्री मोहम्मद फतेह, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एजीए की दलीलें सुनी गईं और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
3. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, बरेली द्वारा चतुर्थ जमानत आवेदन संख्या 3564/2024 में दिनांक 14.1.2026 को पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त करने और उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 197/2024 में धारा 103 (2), 61 (2), 3 (5), 191 (3), 191 (2), 238 बी.एन.एस. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत पुलिस स्टेशन, किला, जिला बरेली में रिहा करने के लिए दायर की गई है।
4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कोई ठोस सबूत नहीं है। कथित घटना की एफआईआर दो दिन की देरी से 15.7.2024 को दर्ज की गई है, जिसमें घटना को 13.7.2024 का दर्शाया गया है। इस एफआईआर को दर्ज करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, अपीलकर्ता को मृतक के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा गया है, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में सह अभियुक्त विपिन, नतिन और रिहान दिखाई दिए हैं। प्रमोद यादव का बयान पीडब्ल्यू- 2 के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उन्हें विरोधी गवाह घोषित किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि आरोपपत्र में 26 गवाह हैं, जिनमें से अब तक केवल दो गवाहों को ही परीक्षित किया गया है। मुकदमे का शीघ्र निस्तारण होने की कोई संभावना नहीं है। अपीलकर्ता 19.7.2024 से जेल में हैं।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपित अपीलकर्ता **नीरज गोयल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

ए.